

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वनभूमि-15/2023-1813 व०प०, राँची, दिनांक-19/05/2023

प्रेषक,

जलज कुमार,  
उप परामर्शी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का सुरदा खनन पट्टा क्षेत्र अन्तर्गत भूमिगत खनन हेतु अतिरिक्त (Remaining) 65.52 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।


प्रसंग :- आपके कार्यालय का पत्रांक-390 दिनांक-12.04.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के संबंध में अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर अभिलेख/मंतव्य/प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय :-

- (i) CWLW का मंतव्य।
- (ii) प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत निर्गत प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)।
- (iii) प्रस्ताव के पार्ट-II एवं प्रासंगिक पत्र में उल्लिखित घनत्व में अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

  
(जलज कुमार)  
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वनभूमि-15/2023-1813 व०प०, राँची, दिनांक-19/05/2023

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक निदेशक, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, मऊभण्डार, घाटशिला, झारखण्ड-832103 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उप परामर्शी।